जीरन पुलिस ने किया कार से 54 किलो डोडाचूरा जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

नीमच। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जीरन पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया तथा सीएसपी किरण चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश यादव और पुलिस सहायता केंद्र चीताखेड़ा की टीम ने 54 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। घटना का विवरण

दिनांक 10 दिसंबर 2025 को संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान सफेद रंग की अल्टो कार क्रमांक आरजे 27 सीपी 4105 का चालक पुलिस नाकाबंदी देखकर वाहन को रिवर्स कर भागने लगा। चीताखेड़ा पर मौजूद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए कार को रोक लिया। तलाशी में कार में रखे काले रंग के तीन कट्टों में भरा 54 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद किया गया। दो आरोपी मौके से गिरफ़्तार– जितेंद्र पिता हडमान राम विश्नोई, उम्र 25, निवासी डोली खुर्द, जिला बालोतरा (राजस्थान)। महेंद्र पिता जावताराम विश्नोई, उम्र 24, निवासी डोली कला, जिला बालोतरा (राजस्थान)। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जब्त अल्टो कार और मादक पदार्थ की कुल कीमत करीब 4.50 लाख रुपये आंकी गई है। वाहन के मालिक के संबंध में जांच जारी है।

डोडाचूरा की तस्करी के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया

नीमच। जिला लोक अभियोजक कार्यालय मिडिया प्रभारी एडवोकेट अली असगर ने बताया घटना इस प्रकार है कि दिनांक 21.08.2019 को थाना नीमच सिटी पर पदस्थ उ.नि आजाद मोहम्मद खान को उनके विश्वसनीय मुखबीर ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि रमेश पिता तोगाराम जाट, निवासी बायतु अपने एक अन्य साथी रघु निवासी बायतु के साथ एक स्लेटी रंग की ईको कार जिस पर जी.जे 05– सी.जी. 5707 की नंबर प्लेट लगी है से अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा तस्करी हेतु जवासा, गिरदौड़ा, जैतपुरा के रास्ते नयागांव हाईवे होते हुये राजस्थान तरफ किसी तस्कर को देने जाने वाला है। यदि तत्काल नाकाबंदी की जाये तो, सफलता मिल सकती है अन्यथा रमेश जाट की उसके साथी रघु के साथ माल सहित निकल भागने व माल को खुर्दबुर्द करने की पूर्ण सम्भावना है। उक्त सूचना विश्वसनीय होने से उसके द्वारा उक्त सूचना विश्वसनीय होने से उक्त सूचना की कार्यवाही हेतु उनि आजाद मोहम्मद खान, फोर्स मय अनुसंधान सामग्री सहित मुखबिर सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु जैतपुरा फण्टा तरफ रवाना होकर, जैतपुरा फण्टा स्थित बालाजी मंदिर के सामने पहुंचे और नाकाबंदी लगाई कुछ समय पश्चात् मनासा तरफ से एक वाहन कार आती दिखी, उक्त वाहन चालक ने वाहन को नाकाबंदी से पहले रोका, तभी चालक सीट के पास बैठा व्यक्ति पुलिस नाकाबंदी को देख वाहन से उतरकर रोड किनारे स्थित बडी बडी झाड़ियों के रास्ते होता हुआ, खेतों की तरफ भागा, जिसका पिछा आर. नाहरसिंह और आर. मनीष द्वारा किया गया तत्पश्चात् रोके गए वाहन को देखने पर उक्त वाहन स्लेटी रंग की मारूती सुजुकी कम्पनी की इको कार के आगे व पिछे जी.जे 05 सीजी 5707 की नंबर प्लेट लगी थी, जो संदिग्ध होने से उक्त कार के चालक का नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम रमेश जाट पिता तोगाराम जाट उम्र 24 साल निवासी मूढ़ों की ढांणिया ग्राम भोजासर थाना बायतु जिला बाड़मेर राजस्थान का होना बताया। तथा चालक सीट के पास बैठा व्यक्ति अंधेरा के फायदा उठाकर भाग निकला। जिसका नाम पता कार चालक से पुछने पर उसका नाम रघु निवासी बायतु का होना बताया। चालक के कब्जे वाली कार की तलाशी लेने पर कार में सीट ना होकर सीट वाले स्थान पर सात काले रंग के कट्टो में डोडाचुरा, भरा होना पाया गया। तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर मौके पर समस्त कार्यवायी की गई तत्पश्चात् थाना। नारकोटिक्स सेल इंदौर में प्रकरण दर्ज किया गया जिसका प्रकरण कमांक 383/2019 अधिनियम की धारा 8/15 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

जिसका प्रकरण 06/20 पर दर्ज होकर उक्त प्रकरण में समस्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्ष्य लो क अभियोजक द्वारा करायी गई। जिसपर माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस कोर्ट नीमच के न्यायाधीश श्रीमान जितेन्द्रकुमार बाजोलिया द्वारा दिनांक 10.12.2025 को आरोपी रमेश जाट पिता तोगाराम जाट उम्र 24 साल निवासी मूढ़ों की ढांणिया ग्राम भोजासर थाना बायतु जिला बाड़मेर राजस्थान को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000/– रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में म0प्र0 शासन कि ओर से प्रभावी पेरवी जिला लोक अभियोजक नीमच श्री चंचल बाहेती द्वारा की गई।

एक नजर में

सड़क दुर्घटना में मृत दशरथ राठौर के परिवार को दिया 4.5 लाख का क्लेम

नीमच/जावद। सड़क दुर्घटना में मृत खाता धारक दशरथ राठौर के परिवार के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस शाखा नीमच ने संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का उदाहरण पेश किया है। कंपनी ने 4.5 लाख की बीमा राशि परिजनों को सौंपकर मुश्किल घड़ी में बड़ी राहत प्रदान की। दशरथ राठौर ने अपनी पुत्री जया राठौर के नाम से चाइल्ड प्लान लिया हुआ था। दुर्घटना के बाद क्लेम आवेदन प्राप्त होते ही शाखा प्रबंधक जितेंद्र भार्गव, बीएम सुनील शर्मा और एलएम मोहित बनोधा ने जावद पहुँचकर परिजनों को चेक सौंपा। शाखा प्रबंधक ने बताया कि कंपनी ने क्लेम राशि सीधे परिवार के खाते में जमा कर दी है। इसके साथ ही अब आगे की सभी प्रीमियम राशियाँ एसबीआई लाइफ स्वयं वहन करेगी, और जया राठौर के 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर मेच्योरिटी अमाउंट भी प्रदान किया जाएगा। परिजनों ने संकट की घड़ी में मिली इस त्वरित सहायता के लिए एसबीआई लाइफ नीमच शाखा का आभार व्यक्त किया।

गरोठ खजूरीरूंदा में लगभग 70 लाख रूपए की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त

मंदसौर। गरोठ उपखंड में प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज गरोठ के खजूरीरूंदा गाँव में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं पंचायत की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्यवाही की।

एसडीएम गरोठ राहुल चौहान ने बताया कि कार्रवाई के दौरान लगभग 70 लाख रूपए मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। टीम द्वारा मौके पर मौजूद अवैध निर्माणों व कब्जों को हटाते हुए जमीन को राजस्व अभिलेखों के अनुसार पुन: सरकारी स्वामित्व में लिया गया।

मोतीलाल धानुका का देहावसान

नीमच। शहर की प्रतिष्ठित फर्म धानुका आईल मिल के वरिष्ठ सदस्य मोतीलाल धानुका का बुधवार, 10 दिसंबर को देहावसान हो गया। उनके निधन से शहर के व्यापारिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर छा गई । स्वर्गीय मोतीलालजी धानुका कैलाश, सुशील, संजय, सुनील और राजेश के चाचाजी थे, वे मेहुल, कुणाल, अनन्त, बिशेष, मीत, अर्चित और गर्व के दादाजी तथा महेश, मनीष और मितुल के पूज्य पिताजी थे।उनकी अंतिम यात्रा बुधवार, 10 दिसम्बर को सायं 4 बजे उनके निज निवास धानुका मिल, स्टेशन रोड, नीमच से शुरू हुई। उन्हें मोक्षवाहिनी द्वारा मुक्तिधाम बघाना ले जाया गया। इस दौरान शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने सम्मिलित होकर उन्हें भावभीनी विदाई दी और अपनी शोक संवेदनाएँ व्यक्त की । मुक्तिधाम पर आयोजित शोक सभा में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मारपीट व धमकी से आक्रोशित बोहरा समाज ने एसपी से की आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

नीमच। नीमच सिटी की पुरानी पुलिस चौकी क्षेत्र में बोहरा समाज के असद हुसैन बोहरा और उनके परिवार के साथ हुई मारपीट, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी के मामले को लेकर गुरुवार को बोहरा समाजजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

शिकायतकर्ता असद हुसैन बोहरा ने बताया कि 10 दिसंबर की रात लगभग 10:15 बजे उनके भाई जुनेद और उसकी पत्नी घर लौट रहे थे। उसी दौरान दुकानदार दीपक और रिहान ने पुरानी पार्किंग के विवाद को लेकर जोर-जोर से गालियां देना शुरू कर दीं। आवाज सुनकर परिवार के लोग बाहर आए, लेकिन समझाइश के बावजूद आरोपी नहीं माने।

आरोप है कि दीपक और रिहान अपने 3 साथियों के साथ आए और असद को घर के बाहर घसीटकर ले गए। दीपक ने दुकान से लाया गया लकड़ी का डंडा मारकर असद के सिर, हाथ और घुटने पर चोट पहुंचाई। यह दृश्य सीसीटीवी फुटेज में भी दर्ज है। बीच-बचाव में आए असद की मां तसनीम, पिता जुजर हुसैन बोहरा व परिजन भी घायल हुए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि आरोपी आदतन गुंडागर्दी करते हैं, देर रात तक दुकान खुली रखकर नशाखोरी व गाली-गलौच करते हैं और आसपास के लोगों के लिए माहौल खराब करते हैं।